विज्ञप्ति --नगर पंचायत कपकोट, जनपद बागेश्वर के कक्षो का आरक्षण प्रस्ताव

.उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी शासकीय पत्र संख्या 942/IV(3)–2018 –11 (2निर्वा0)/17 दिनांक 6 अप्रैल 2018 के साथ सलंग्न समयसारणी के अनुपालन में उत्तरप्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवटन)(पंचम संशोधन)) नियमावली ,2000(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त में वर्णित प्राविधानों के अनुसार नगरपंचायत कपकोट के 7 कक्षों का आरक्षण निम्नवत निर्धारित किया जाता है ।

नगर निकाय का नाम –नगरपंचायत कपकोट **जनपद बागेश्वर**

कमाक	वार्ड कमांक	वार्ड का नाम	आरक्षण की स्थिति
1	1	मण्डलखेत	महिला
2	2	कपकोट बाजार	अनारक्षित
3	3	शिवालय	महिला
4	4	भराडी	अनारक्षित
5	5	ऐठाण	अनुसूचित जाति महिला
6	6	पॉलीडुगंरा	अनारक्षित
7	7	खीरगंगा	अनारक्षित

नगरपंचायत कपकोट के कक्षो का आरक्षण के संबध में उक्त के अनुरूप कक्षों के आरक्षण का प्रकाशन किया जा रहा है। उपरोक्त कक्षों के आरक्षण प्रस्ताव के संबध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तों वे विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त दिनांक 28.4.2018 से 4.5.2018 (7दिन)के अन्तर्गत अपनी लिखित आपत्ति (साक्ष्य/अभिलेख सहित) किसी भी कार्यदिवस में जिला कार्यालय बागेश्वर में प्रस्तुत कर सकते है ।निर्धारित समय सीमा (दिनांक 4.5.2018 समय 5 बजे उपरान्त)के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा । प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 5.5.2018 से 6.5.2018 तक (दो दिन) को जिला कार्यालय बागेश्वर में की जायेगी ।

(रंजना राजगुरू)
जिलाधिकारी,
बागेश्वर ।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या 270/21–एल0बी0सी0/2017–18 दिनांक 27 अप्रैल,2018

प्रतिलिपि:– 1. जिला सूचनाधिकारी बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित की आप उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अमर,उजाला /दैनिक जागरण /हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए विल भुगतान हेतु पालिका कार्यालय में समाचार पत्र की प्रति सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बागेश्वर को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की शासकीय बैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
3. सचिव, शहरी विकास अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषितं।
4. निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायक कपकोट ।

27/04/18

जिला अधिकारी,
बागेश्वर ।